दिनांक 03 अगस्त, 2022 को अपरान्ह 03:30 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ दिनांक 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :–

1. श्री सी. रविशंकर, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री प्रताप सिंह शाह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. श्री मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. श्री बी.एस. रावत, अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
5. श्री पुनीत मित्तल, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी
6. श्री राजीव शर्मा, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी
7. श्री संजीव विज, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी
8. श्री पंकज शर्मा, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी
9. श्री अशोक शर्मा, प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया।
10. श्री अनन्त आकाश, प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मा.)।
11. श्री नितेश रौथाण, प्रतिनिधि, नेशनिलिस्ट कांग्रेस पार्टी।
12. श्री स्पर्श परलियान, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
13. श्री जय प्रकाश, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
14. श्री अमित कुमार, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।

सर्वप्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–23/2022-ERS (Vol-II) दिनांक 25 जुलाई, 2022 द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम से निम्नानुसार विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया :–

S.No.	Activity	Period
	Pre-revision activities	
1.	(i) Rationalization/Re-arrangements of Polling Stations. (ii) Removal of discrepancies of DSEs, PSEs and EPICs. (iii) Improvement of image quality ensuring good quality photographs, by replacing blurred, poor quality and not to specification and non-human images in electoral roll, wherever necessary. (iv) Recasting of Section/Parts and Finalization of proposed restructuring of section/part boundaries location of polling stations and getting approval of list of polling stations. (v) Identification of the Gaps and finalizing the strategy and timeline to bridge such gaps.	04.08.2022 (Thursday) to 24.10.2022 (Monday)
2.	(i) Preparation of Format 1 to 8. (ii) Preparation of Supplements and integrated draft roll with reference to 01.10.2022 as the qualifying date	25.10.2022 (Tuesday) to 07.11.2022 (Monday)

Revision Activities		
3.	Publication of Integrated draft electoral roll.	09.11.2022 (Wednesday)
4.	Period for filing claims & objections	09.11.2022 (Wednesday) to 08.12.2022 (Thursday)
5.	Special campaign dates	19.11.2022 (Saturday) 20 .11.2022 (Sunday) 03.12.2022 (Saturday) 04.12.2022 (Sunday)
6.	Disposal of claims and objections	By 26.12.2022(Monday)
7.	(i) Checking of health parameters and obtaining Commission's pennission for final publication (ii) Updating database and printing of supplements	By 03.01.2023(Tuesday)
8.	Final publication of electoral roll	05.01.2023 (Thursday)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा बैठक में सभी उपस्थित पदाधिकारियो को विशेष पुनरीक्षण से सम्बन्धित एजेण्डा एवं विभिन्न सांख्यकीय सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए एक साल में चार अर्हता तिथियों के संबंध में निम्नानुसार अवगत कराया गया –

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 एवं 1951 (संशोधन अधिनियम–2021) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 (संशोधन नियम–2022) में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए अब प्रत्येक वर्ष में चार तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं:–

01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर

वर्तमान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 01 जनवरी 2023, 01 अप्रैल 2023, 01 जुलाई 2023 एवं 01 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर फार्म–6, में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। जो अर्ह नागरिक 01 जनवरी, 2023 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है उनके द्वारा प्रस्तुत फार्म–6 का इसी पुनरीक्षण अवधि में नियमानुसार निस्तारण कर उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा 05 जनवरी, 2022 को अंतिम प्रकाशित नामावली में ऐसे सभी अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होगा। 01 अप्रैल 2023, 01 जुलाई 2023 एवं 01 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर फार्म–6, में प्राप्त आवेदन पत्रों का यथा समय उस तिमाही में नियमानुसार निस्तारण कर विनिश्चिय किया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को नए संशोधित फार्मों के संबंध में जानकारी दी गयी, जो 01 अगस्त, 2022 से लागू हो चुके है। नये फार्मो के अनुसार **फार्म–6** किसी भी अर्ह नागरिक का नाम प्रथम बार निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने के लिए आवेदन के रूप में, **फार्म–6ए** पासपोर्ट के आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआई) का नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन के रूप में, **फार्म–6बी** निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर की सूचना प्रदान करने के लिए, **फार्म–7** वर्तमान निर्वाचक नामावली से किसी निर्वाचक का नाम हटाए जाने के लिए, या निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति के लिए तथा **फार्म–8** वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलवाने अथवा PwD मार्किंग के लिए अथवा एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में निवास स्थान बदलने पर अथवा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा।

उपस्थित पदाधिकारियों की पृच्छा के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि अब फार्म–6 में केवल नया नाम दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन किया जायेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित/शिफ्ट इत्यादि होने पर फार्म–8 पर नियमानुसार आवेदन किया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम–2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के सुसंगत नियमों में दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना के द्वारा परिवर्तन/संशोधन करते हुए निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर सभी निर्वाचकों से आधार संग्रह किए जाने हेतु नया **प्रारूप–6ख** जारी किया गया है। बैठक में अवगत कराया गया कि, आधार संख्या संग्रह करने का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार के पंजीकरण की पहचान करना है।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को आधार संग्रह की पद्धति से निम्नानुसार विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया :–

वर्तमान निर्वाचक फार्म–6ख भरकर पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म को अपने क्षेत्रीय बीएलओ या संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर भी फार्म–6ख वितरित/संग्रहीत किए जाएंगें। फार्म–6ख सभी बीएलओ/उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं। फार्म–6ख भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट <u>www.eci.gov.in</u> अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड की विभागीय वेबसाईट <u>www.</u>ceo.uk.gov.in से हिन्दी अथवा अंग्रेजी में डाउनलोड किया जा सकता है। फार्म–6ख भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट <u>www.nvsp.in</u> और Voter Help Line App (VHA) के माध्यम से (जैसी भी सुविधा हो) भी भरा जा सकता है। ऑनलाईन दो तरीकों से भरा जा सकता है :– (1) स्वप्रमाणन के साथः– मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाईन फार्म–6ख भर सकता है और UIDAI में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर ओटीपी का उपयोग करके आधार को प्रमाणित कर सकता है, (2) स्व प्रमाणीकरण के बिनाः– यदि कोई निर्वाचक स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है या स्वयं प्रमाणीकरण में विफल रहता है तो निर्वाचक प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म–6ख ऑन लाईन जमा कर सकता है।

<u>ऑफलाईन फार्म–6ख प्रस्तुत करनाः–</u>

जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त बी.एल.ओ. को आवश्यक संख्या में फार्म–6ख आवंटित करते हुए निर्देशित करेंगे कि प्रत्येक बी.एल.ओ. अपने–अपने मतदेय स्थल के अन्तर्गत पंजीकृत शत्प्रतिशत निर्वाचकों से फार्म–6ख प्राप्त कर गरूड़ा एप अथवा ई.आर.ओ. नेट के माध्मय से (जैसी भी सुविधा हो) फार्म प्राप्ति के 7 दिन के भीतर डिजिटाइज्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। आधार संग्रह कार्य को एक अभियान के रूप में सम्पादित कराने हेतु प्रत्येक बी.एल.ओ. के लिए दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक घर–घर भ्रमण हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित है ताकि शत्प्रतिशत निर्वाचकों के आधार संग्रह हेतु फार्म–6ख ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्राप्त हो सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी भी निर्वाचक द्वारा अपना आधार प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है। यदि किसी निर्वाचक के पास आधार नहीं है और वह अपना आधार प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे निर्वाचकों से फार्म–6ख में उल्लिखित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी भी एक की प्रति जमा करने का अनुरोध किया जाएगा। किसी भी निर्वाचक का नाम इस आधार पर निर्वाचक नामावली से हटाया नहीं जाएगा कि वह अपना आधार संख्या सूचित करने में असमर्थ रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि आधार संख्या प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में उसकी प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं प्राप्त करना है। यदि मतदाता के पास आधार संख्या नहीं हो तो उसे फॉर्म 6बी में उल्लिखित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक प्रति को जमा करने हेतु अनुरोध किया जायेगा। मतदाता की ओर से आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थता के आधार पर EROs द्वारा मतदाता सूची से किसी भी प्रविष्टि को हटाया नहीं जायेगा। मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करते समय Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Bendfits and Services) Act, 2016 की धारा–37 के प्राविधानों का पालन किया जाना आवश्यक है।

किसी भी परिस्थिति में आधार नम्बर को सार्वजनिक क्षेत्र में घोषित नहीं किया जाना है। यदि मतदाता की जानकारी सार्वजनिक प्रदर्शित की जानी आवश्यक हो तो वहां से आधार विवरण को हटाना या छुपाना होगा। फार्म 6बी में प्राप्त आधार संख्या के संरक्षण के लिए Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2022 की धारा–14(1)(MB) का सख्ती से पालन किया जाना है, जिसके अनुसार भौतिक रूप से एकत्रित या फोटोकॉपी के माध्यम से एकत्रित आधार संख्याओं को संग्रहित करने से पहले आधार संख्या के पहले 8 अंकों को सम्पादित करके अन्य को छुपा दिया जायेगा। EROs द्वारा ऑफ लाईन एकत्र फॉर्म 6बी व प्राप्त संलग्नकों को डिजीटलीकरण के पश्चात द्वितालक में सुरक्षित संरक्षित किया जायेगा। फॉर्म के भौतिक रूप से पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक होने की स्थिति में सम्बन्धित EROs के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2022 में जारी दिशा–निर्देशों तथा मतदेय स्थलों के लिए मैनुअल–2020 (Manual on Polling Stations-2020) के अध्याय–2, 3 एवं 4 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों (निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन से पूर्व) के अन्तर्गत सर्व प्रथम वर्तमान मतदेय स्थलों के युक्तिकरण/पुनर्निधारण– पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मतदेय स्थलों के युक्तिकरण/पुनर्निधारण–पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही वर्तमान मतदेय स्थलों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही सुनिश्चित की जाएगी तथा भौतिक सत्यापन के उपरान्त मतदेय स्थलों के संशोधन, पुनर्निधारण एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही के समय आयोग के मानदंडो (विस्तृत विवरण एजेण्डा में उल्लिखित) को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में एक ही भवन पर स्थापित एक से अधिक मतदेय स्थलों को विलय किये जाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें निर्वाचक नामावली डाटाबेस से वर्तमान में एक ही भवन में स्थित एक से अधिक ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर उन्हें परस्पर विलय करने पर मतदाताओं की संख्या–1350 या उससे कम हो जाएगी। इस प्रकार राज्य की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल–578 मतदेय स्थल चिन्हित किए गए हैं जिन्हें विलय करने पर इनकी संख्या–289 हो जाएगी। इस प्रकार वर्तमान मतदेय स्थलों के सापेक्ष 289 मतदेय स्थलों को समायोजित कर कम किया जा सकता है। यद्यपि डाटाबेस से उक्तानुसार विलय किए जाने के लिए प्रस्तावित– संभावित मतदेय स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है तथापि इनको विलय किए जाने से पूर्व क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर भौतिक सत्यापन के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि विलय किए जाने के उपरान्त उस मतदेय स्थल पर कार्य करने वाले बीएलओ को कार्य सम्पादित करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई तो उत्पन्न नहीं होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य पहलुओं के आधार पर जैसे अनुभागों को शिफ्ट करने, या मतदाताओं को उनकी सुविधा के अनुसार एक मतदेय स्थल/मतदान केन्द्र से दूसरे मतदेय स्थल/मतदान केन्द्र पर शिफ्ट करने पर विचार कर मतदेय स्थलों की संख्या को कम किया जा सकता है। इस प्रकार एक ही भवन में एक से अधिक मतदेय स्थलों को मतदाताओं की अधिकत्तम संख्या अथवा अन्य विभिन्न कारणों से विलय करने के फलस्वरूप जहाँ एक ओर मतदेय स्थल कम हो जाएंगे वहीं दूसरी ओर मतदेय स्थल कम होने से विभिन्न व्यवस्थाएं एवं वित्तीय भार में भी कमी आएगी। उपरान्त मतदेय स्थलों के संशोधन, पुनर्निधारण एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया कि मतदेय स्थलों के संबंध में अपने–अपने सुझाव/आपत्ति/प्रस्ताव (यदि कोई हों) दिनांक 31 अगस्त, 2022 को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावली में परिलक्षित DSEs, PSEs & EPICs आदि की विसंगतियों को निरन्तर हटाने की कार्यवाही

की जा रही है। पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध DSEs, PSEs & EPICs आदि की विसंगतियों को हटाये जाने की कार्यवाही जारी रहेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि, विद्यमान निर्वाचक नामावली (अर्थात वर्तमान में 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रचलित) में Elector Population Ratio, Gender GAP (Census Gender Ratio-Elector Gender Ratio) व मतदेय स्थलों का विवरण जहाँ पर महिला निर्वाचकों का लिंगानुपात संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के औसत महिला निर्वाचक लिंगानुपात से कम है, से सम्बन्धित अंतराल (Gaps) परिलक्षित हुए हैं, जिनका विस्तृत विवरण एजेण्डा में उल्लिखित है। उक्त अन्तरालों की पूर्ति एक अभियान के रूप में पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियों में निराकरण करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। जिसके अन्तर्गत सभी राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। इसी प्रकार वर्तमान निर्वाचक नामावली में 18–19 आयुवर्ग की Projected Polulation के अनुरूप 2011 की जनगणना के सापेक्ष राज्य में अभी भी 18–19 आयुवर्ग के अन्तर्गत कुल 2.27 लाख युवाओं का नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किया जाना शेष है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए अपने–अपने राजनैतिक दल का बीएलए नियुक्त करने का कष्ट करें और मतदेय स्थलवार नियुक्त बीएलए की सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिस पर प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को BLA की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।

राजनैतिक दलों से यह भी अनुरोध किया गया कि, राज्य के शत–प्रतिशत अर्ह नागरिकों के नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने, तथा विधान सभा निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए रखने हेतु अपने बूथ/ब्लॉक/मण्डल/तहसील/जनपद स्तरीय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से अवगत कराते हुए यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को पुनरीक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या : 3675 / XXV-97/2022
देहरादून, दिनांक : 08 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि : प्रदेश अध्यक्ष/महामंत्री समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का दिनांक 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम के सुव्यवस्थित संचालन, सम्पादन हेतु सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ दिनांक 03 अगस्त, 2022 को समय अपरान्ह 03:30 बजे एक बैठक की उपस्थिति

	क्र. सं.	राजनैतिक दल के प्रतिनिधि का नाम	दल का नाम	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	हस्ताक्षर
1	1	श्री पुनीत मित्तल	भारतीय जनता पार्टी	9897025550		[signature]
	2	श्री राजीव शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	A- Not well.		
	3	श्री संजीव विज	भारतीय जनता पार्टी	9411363858		[signature]
	4	श्री पंकज शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	8126999998		[signature]
	5	श्री सूर्यकान्त धस्माना	इण्डियन नेशनल कांग्रेस			
	6	श्री मथुरा दत्त जोशी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस			
	7	श्री अनुज दत्त शर्मा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस			
	8	श्री अमरजीत	इण्डियन नेशनल कांग्रेस			
2.	9	श्री अशोक शर्मा	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया।	8958933349	–	[signature]
3.	10	श्री अनन्त आकाश	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मा.)	9410565899		[signature]
4.	11	श्री नितेश रौथाण	नेशनिलिस्ट कांग्रेस पार्टी।	9871042516	niteshrautha@gmail.com	[signature]
	12	श्री देवाशीष नौटियाल	नेशनिलिस्ट कांग्रेस पार्टी।			
5.	13	श्री स्पर्श परलियान	बहुजन समाज पार्टी।	9837459072	Sparshtheraya198@gmail.com	[signature]
	14	श्री अमित गौतम	बहुजन समाज पार्टी।			
	15	श्री जय प्रकाश	बहुजन समाज पार्टी।	7302633280	Jaiprakash	[signature]
	16	श्री अमित कुमार	बहुजन समाज पार्टी।	9897287916	Amit kumar 0287@	[signature]
	17	श्री जय प्रकाश	बहुजन समाज पार्टी।			
	18	श्री राकेश कुमार	बहुजन समाज पार्टी।			
	19					
	20					

[signature]
3.8.22
JCEO